"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर तथा अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम को केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के प्रभार से मुक्त करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. सुश्री शहला निगार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 25-09/2009/नौ/55.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (क्र. 23 सन् 1940) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के निम्नलिखित अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियों सहित, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिये शासकीय विश्लेषक नियुक्त करती है :—

स. क्र. (1)	अधिकारियों के नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री पी. के. गुहा	डायरेक्टर
2.	श्री सी. हरिहरण	बैक्टीरिऑलॉजिस्ट (जीवाणु विज्ञानी)
3.	डॉ. सरोज घोष	बायोकेमिस्ट
4.	डॉ. नंदिता साहा	एसोसियेट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट
5.	डॉ. अंजन पाल	एसोसियेट बैक्टीरिऑलॉजिस्ट (जीवाणु विज्ञानी)
6.	डॉ. सुबीर बसु	टेक्नीकल ऑफिसर (जीवाणु विज्ञान)
7.	डॉ. काजल दत्ता	एसोसियेट बायोकेमिस्ट

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 25-09/2009/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 16th November 2009

No. F 25-09/2009/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints the following Officers of Central Drugs Laboratory Kolkata (West Bangal), as Government Analyst for the State of Chhattisgarh for Drugs and Cosmetics including drugs specified in Schedule C and C (1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 :—

S. No. (1)	Name of the Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri P. K. Guha	Director
2.	Shri C. Hariharan	Bacteriologist
3.	Dr. Saroj Ghosh	Biochemist
4.	Dr. Nandita Saha	Associate Pharmaceutical Chemist
5.	Dr. Anjan Pal	Associate Bacteriologist
6.	Dr. Subir Basu	Technical Officer (Bacteriology)
7.	Dr. Kajal Dutta	Associate Biochemist

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
VIKAS SHEEL, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 7 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	नर्मदापुर	47.812	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., अम्बिकापुर.	ग्राम नर्मदापुर में बाक्साइट उत्खनन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

क्रमांक 19 /भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारां (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बसंतपुर प.ह.नं. 41	0.465	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) निर्माण संभाग एक 2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

क्रमांक/01/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-भैरमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सडार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.855 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.076
	6	0.060
	8	0.110
	13	0.215
	15	0.590
	16	0.125
	17	0.247
	19	0.232
	20	0.200
योग	9	1.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लघु जल विद्युत परियोजना माढेर-1 योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

क्रमांक 20 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूभांठा, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1009/1	0.11
1009/2	0.16
1011/1	0.68
1021/1	0.08
1019	0.52
1022/2	0.50
1134	0.14
1022/1	0.56
1023/1	0.17
1023/2	0.20
1024	0.26
1052	0.30
1062/2	0.09
1025	0.01
1039/1, 1039/4	0.50
1040/1, 1040/2	1.56
1040/6	0.06
1051/2	0.02
1051/3	0.66
1051/1, 1069	0.13

(1)	(2)
1068	0.44
1066	0.14
1067	0.17
1072/3	0.26
1073/2	0.16
1138/2	0.12
1137	0.45
1101	0.28
1103, 1104	0.50
1100/1	0.23
1105, 1106/1	0.60
1102	0.60
1107	0.35
1116/2	0.10
1098	0.10
1099/1	0.16
1094/1	0.15
1108, 1109	0.22
1094/4	0.15
1094/3, 1094/5	0.15
1135	0.09
1136	0.09
योग 42	12.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाइप लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

क्रमांक 25 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-सरखों, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.00 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
479/3	0.17
479/2	0.02
478/1	0.30
477	0.60
470/1	0.40
476	0.28
468, 469/1	0.33
469/3	0.36
498/1	0.06
463/3	0.03
470/2	0.51
469/2	0.45
463/1, 464, 465/1	0.02
463/4	0.10
463/5	0.04
465/3, 466/2, 467/2	0.39
463/2	0.61
411	0.98
502/3, 503/4	0.10
502/2, 503/2, 504/2	0.03
503/3	0.13
502/4, 503/5, 504/3	0.04
503/1	0.35
590/1	0.36
590/3	0.03
591/3, 591/4	0.32
591/11	0.45
591/1	0.16
591/7	0.05
591/5, 591/6	0.21
591/10	0.30
592/1, 593/16	0.02
591/2	0.04
592/2, 593/17	0.45
627/6	0.35

(1)	(2)
592/10	0.26
592/11	0.24
593/26	0.20
593/27	0.30
593/13	0.12
593/10	0.55
593/30	0.30
630/1	0.24
630/2	0.08
630/3	0.26
630/4	0.57
627/7	0.50
627/8	0.59
628	0.46
627/3, 627/4, 627/5	0.65
611/8, 1959	0.76
613	0.13
474, 475/1	0.45
502/5, 503/6, 504/4	0.30
योग 54	16.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- 2×500 मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाइप लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2009

क्रमांक 12/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-लिटिया सरई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.60 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
618/1	0.15
668/1	0.36
620	0.16
618/2	0.09
622	0.25
627/1	0.70
669/2	0.10
670	0.20
623	0.25
669/1	0.24
655/3	0.74
661	0.16
667	0.21
668/2	0.04
669/3	0.04
621	0.07
655/4	0.30
655/2	0.30
657, 659	0.52
666/1, 666/3	0.26
618/3	0.10
619	0.26
655/1	0.05
627/2	0.05
योग 21	5.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुम्हे व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

क्रमांक 03/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-परासी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1494/1, 1495/2	0.03
1484/9	0.12
1491/2	0.05
1340/1	0.25
1339/2	0.04
1366/1	0.02
1391/1	0.04
1467	0.48
1285, 1342/2	0.14
1341/1	0.08
1501/3	0.46
1359/1	0.21
1381/1	0.18
1391/1	0.28
1393/2	0.20
1470/2	0.51
1341/2	0.09
1469/5	0.13
1344	0.15
1385	0.10
1382	0.18
1358/1	0.02
1380/2	0.14
1381/3	0.15
1393/3	0.20
1380/1	0.26
1392	0.24
1494/2	0.09
1484/2	0.12
1496/3	0.25
1496/4	0.36
1515/2	0.03
1516	0.15
1340/2	0.28
1502	0.20
1343	0.12
1345/1	0.31
1359/2	0.59
1357	0.10
1492	0.26
1497/1	0.03
1495/3	1.00
1491	0.05
1290/1	0.14
1466/2	0.34
1470/3	0.90
योग 46	10.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2009

क्रमांक 2/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
914	0.20
825/1	0.50
874	0.22
875/2	0.05
876	0.20
915	0.19
928/1	0.21
901/1	0.33
899	0.36
818	0.11
929	0.14
812/2	0.32
813/2	0.26
873/2	0.15
911	0.05
912/1	0.10
912/2	0.09
913	0.11
875/1	0.39
873/1	0.35
909	0.30
819	0.18
811	0.02
812/1	0.64
930	0.16
910/1	0.11
812/3	0.32
927	0.32
820, 822	0.44
821	0.02
900	0.30
योग 31	7.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

क्रमांक 3/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
720/1	0.10
1669/2	0.03
1509/2	0.15
1627	0.06
522	0.14
1594/3	0.19
1619	0.03
1668	0.17
1567	0.05
1681/1	0.10
1680/1	0.11
589/2	0.04
1676	0.02
1568/1	0.05
728/1	0.12
789/1	0.07
1503	0.04
1633/2	0.05
1506	0.02
1630	0.04
1631	0.12
1622	0.22
523/3	0.11
1612	0.06
1632	0.03
523/2	0.11

(1)	(2)
1678	0.02
520	0.26
1500/2	0.07
589/1	0.04
1367/1	0.14
523/1	0.11
516/2	0.22
516/1	0.22
1504	0.12
1505	0.09
1621	0.26
584	0.03
1537/2	0.07
1669/1	0.04
1383/2	0.12
600/4	0.12
603/2	0.04
604/2	0.18
789/2	0.06
737/1	0.37
587	0.07
524	0.02
1371/2	0.18
1384/2	0.04
747	0.06
751	1.07
758	0.23
1611	0.03
1613	0.02
1633/1	0.06
1371/1	0.18
1373/1	0.01
1384/1	0.04
731/1	0.15
572	0.25
591/1	0.41
594,785/2, 797/1	0.36
727	0.03
748	0.22
750	0.01
1364	0.28
1365	0.03
1500/3	0.08
728/2	0.11
1568/4	0.12
790/1	0.12
590/1	0.15
731/2	0.16
732	0.11
733/2	0.10
517	0.34
1500/4	0.09
588	0.03
791	0.14
1610	0.02
1508/2	0.03
759	0.03
1499/1	0.30
1614	0.14
योग 82	10.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

क्रमांक 4/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-लोहारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
494/1	0.19

(1)	(2)
495	0.11
570/1 ङ	0.35
570/1 झ	0.44
527/1	0.30
572/2 क	0.13
573/1	0.13
570/1 ख	0.43
572/4	0.18
584/5	0.28
588/1	0.32
642/3	0.45
645/2	0.13
531/4	0.32
528	0.26
582/1	0.04
584/6	0.28
647/2	0.66
488	0.17
479/1	0.08
659/2	0.28
496	0.06
487	0.02
489/2	0.21
530/1	0.15
474	0.22
572/1	0.29
645/3	0.70
472	0.14
647/1	0.10
475/3	0.08
588/2	0.43
570/1 क	0.10
583/2, 584/3	0.17
583/4	0.17
583/5	0.08
497/1	0.15
529, 530/2	0.07
570/1 छ, 575/5	0.32
571, 576/2, 527/2	0.20
572/2 ख, 573/2	0.24
479/2	0.32
481	0.14
645/5	0.20
647/3	0.20
योग 42	10.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

क्रमांक 11/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-कोटा
 (ग) नगर/ग्राम-खुरदुर, प. ह. नं. 13
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.28 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
400	0.14
408/1	0.11
398	0.34
410/1	0.70
397/2	0.10
397/1	0.05
395/1 क	0.10
395/1 ग	0.60
397/3	0.30
397/4	0.25

(1)	(2)
397/5	0.10
397/6	0.05
395/1 ख	0.40
397/8	0.09
397/7	0.15
395/2	0.18
395/3	0.31
409	0.43
410/2	0.70
399	0.40
401/1	0.78
योग	6.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

क्रमांक क/खलि/तीन-1/09.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रानीजरौद	28	सिमगा	53, 55/1	0.897 हेक्टेयर	श्रीमती उषा मक्कड़ को स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा की अवधि दिनांक 14-10-2009 से समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचा./09/समय-अनुसूची/105.—राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचायत/09/समय-अनुसूची/2810, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं आदेश क्रमांक एफ 37-2/तीन (एक)-3/पंचायत/09/समय-अनुसूची/2886, दिनांक 27 दिसम्बर, 2009 एवं आदेश क्रमांक 2922 दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 द्वारा पंचायत के आम निर्वाचन हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर द्वारा स्थानीय विषय को लेकर मतदान चरणों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है. जिसके फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है. स्वच्छ एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, उक्त आदेश के परिशिष्ट के क्रमांक 8 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	क्र. (3)	द्वितीय चरण (4)	क्र. (5)	तृतीय चरण (6)
8.	रायपुर	1.	आरंग	1.	अभनपुर

डी. डी. सिंह,
सचिव.

वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

आदेश क्रमांक/मा. चि./333.—सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि छ. ग. राजपत्र दिनांक 6 मार्च 2009 से अधिसूचित "अचानकमार टायगर रिजर्व" के कोर जोन क्षेत्र में स्थित परिक्षेत्र लमनी संरक्षित क्षेत्र, छपरवा, सुरही एवं अचानकमार के परिक्षेत्र

सहायक वृत्त का पुनर्गठन निम्नानुसार :—

क्र.	वृत्त	जिला	वनमंडल	राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र सहायक वृत्त का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र सहायक वृत्त का मुख्यालय	संरक्षित परिक्षेत्र सहायक परिक्षेत्र का क्षेत्रफल	संरक्षित परि. सहायक वृत्त में सम्मिलित संरक्षित परिसर	संरक्षित परिक्षेत्र सहायक वृत्त की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर	लमनी संरक्षित क्षेत्र लमनी	रंजकी	रंजकी	8.757	रक्षाछाक	**उत्तर** - अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर जोन क्षेत्र की सीमा.
								7.794	रंजकी	**पूर्व** - आरक्षित कक्ष क्रमांक 279 एवं 288
								7.552	किरकोटा	**दक्षिण** - माटीनाला
										पश्चिम - म. प्र. एवं छ. ग. राज्य की सीमा.
							योग	**24.103**		
2.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	अतरिया	अतरिया	7.471	माटीनाला	**उत्तर** - अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर जोन क्षेत्र की सीमा.
								8.777	अतरिया	**पूर्व** - अचानकमार टायगर रिजर्व के कोर जोन क्षेत्र की सीमा.
								7.402	भैरोसांग	**दक्षिण** - माटीनाला
										पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 290 एवं 289
							योग	**23.65**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर	लमनी संरक्षित क्षेत्र लमनी	बिरारपानी	बिरारपानी	7.191	बिरारपानी	**उत्तर** - माटीनाला
								5.986	ढोड़ापानी	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 308, 328, 329 एवं 341.
								7.831	सरेसनाला	**दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 340, 338, 337 व लौरमी एवं सुरही परिक्षेत्र की सीमा.
								9.781	भुलकाडीह	**पश्चिम** - खुड़िया परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व तथा म. प्र. एवं छ. ग. राज्य की सीमा.
							योग	**30.789**		
4.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	छिरहट्टा	छिरहट्टा	8.511	छिरहट्टा	**उत्तर** - माटीनाला
								9.045	कुंभीद्वारी	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 309, 310, 325 एवं 345.
								10.008	चिखलापानी	**दक्षिण** - लमनी एवं सुरही परिक्षेत्र की सीमा
										पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 336, 331, 330, 339, 306 एवं 307.
							योग	**27.564**		
5.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	लमनी	लमनी	8.669	साहेबपानी	**उत्तर** - माटीनाला
								8.604	लमनी	**पूर्व** - आरक्षित वन क्र. 314, 321 एवं 352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								10.919	मेडरीसरई	**दक्षिण** - लमनी छपरवा एवं लमनी एवं सुरही परिक्षेत्र की सीमा.
										पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 344, 326, 327 एवं 308.
							योग	**28.192**		
6.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर	लमनी संरक्षित क्षेत्र लमनी	कूबा	कूबा	10.259	कूबा	**उत्तर** - माटीनाला एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								7.179	केतापानी	**पूर्व** - अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								8.430	मेचकीडबरी	**दक्षिण** - लमनी एवं छपरवा परिक्षेत्र की सीमा.
										पश्चिम - आरक्षित वन क्र. 322, 313 एवं माटीनाला.
							योग	**25.868**		
7.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	छपरवा	तिलईडबरा	तिलईडबरा	7.216	बेन्द्रामाड़ा	**उत्तर** - छपरवा एवं लमनी परिक्षेत्र की सीमा.
								7.012	जयमंगलपानी	**पूर्व** - अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								8.454	तिलईडबरा	**दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 360, 231, 233, 234, 236 छपरवा, सुरही परिक्षेत्र की सीमा.
								5.908	पपीतापानी	**पश्चिम** - छपरवा, सुरही एवं छपरवा, लमनी परिक्षेत्र की सीमा.
							योग	28.590		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर	छपरवा	सांभरधसान	सांभरधसान	5.981	बरमानाला	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 363, 361, 355 एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								4.865	बरपानी	**पूर्व** - अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								8.798	गौरीकुंड	**दक्षिण** - आ. वन कक्ष क्र. 223, 226, 227, 228 एवं 209.
								7.094	सांभरधसान	**पश्चिम** - आरक्षित वन क्र. 209, 234 एवं 364.
							योग	**26.738**		
9.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	छपरवा	छपरवा	छपरवा	7.665	कोरीछापर	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 364, 233, 232, 229 एवं 359.
								9.854	छपरवा	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 359, 227, 212 वनग्राम बोकराकछार एवं 210.
								9.162	मैकूमठ	**दक्षिण** - छपरवा एवं अचानकमार परिक्षेत्र की सीमा.
								8.187	टाटीपथरा	**पश्चिम** - छपरवा एवं सुरही परिक्षेत्र की सीमा.
							योग	**34.868**		
10.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	छपरवा	बांकल	अचानकमार	6.791	कुसूआपानी	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 359, 358, 225, एवं 224.
								6.798	बोकराकछार	**पूर्व** - अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								9.810	रानीडांड	**दक्षिण** - अचानकमार टायगर रिजर्व तथा छपरवा एवं अचानकमार परिक्षेत्र की सीमा.
								7.604	बांकल	**पश्चिम** - छपरवा एवं अचानकमार परिक्षेत्र की सीमा.
								9.459	कुकरीपानी	आरक्षित वन कक्ष क्र. 208 वनग्राम बहाउड़ क्र. 211 एवं 228.
							योग	**40.462**		
11.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर	सुरही	कटामी	कटामी	7.017	कटामी	**उत्तर** - सुरही, लमनी एवं छपरवा परि. की सीमा.
								6.079	डोडकीनकान	**पूर्व** - सुरही एवं छपरवा परिक्षेत्र की सीमा.
								8.612	डोकरीडोंगर	**दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 507, 508, 509, 510, 511, 504.
								10.401	दियाबार	**पश्चिम** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 441, 382, 378, 377 एवं 376.
								6.896	जामकछार	
								9.903	पोलमी	
							योग	**48.908**		
12.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	सुरही	जामपानी	जल्दा		बाबापथरा	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 505 वनग्राम कटामी कक्ष क्र. 506.
								6.592		**पूर्व** - सुरही एवं अचानकमार परिक्षेत्र की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								6.358	आमापानी	**दक्षिण** - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								8.709	जामपानी	
								6.742	चिरकापहाड़	**पश्चिम** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 538, 539, 522, 520, 513 एवं 510.
								6.043	खूंटाडबरा	
							योग	**34.444**		
13.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	**अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर**	**सुरही**	**सुरही**	**सुरही**	**9.336**	बम्हनी	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 441, 381, 240 एवं 505.
								6.953	महुवापानी	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 509, 514, 518, 519, 540, 541 एवं 543.
								7.600	अतरिया	**दक्षिण** - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								8.895	सुरही	**पश्चिम** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 524, 503, 443 एवं 444.
							योग	**32.784**		
14.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	**सुरही**	**जाकड़बांधा**	जाकड़बांधा	**8.066**	बरनाला	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 391, 434, 435, 440, 439, 384 एवं 383.
								11.388	डंगनिया	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 381, 504, 442, 512, 521, 322 एवं 523.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								10.474	महामाई	**दक्षिण** - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व खुड़िया. परिक्षेत्र अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा के साथ मनियारी जलाशय.
								10.130	जाकड़बांधा	
								7.390	निवासखार	**पश्चिम** - खुड़िया परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
							योग	**47.448**		
15.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर	सुरही	राजक	राजक	7.580	राजक	**उत्तर** - सुरही एवं लमनी परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा.
								7.293	तेंदूआही	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 375, 379, 380 एवं 381.
								9.490	हण्डीकुण्डी	**दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 441, 444, 445, 450, 451 एवं 433.
								8.935	कटारनाला	
								8.575	रूतईनाला	
								7.385	चिमटापानी	**पश्चिम** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 431 खुड़िया परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
							योग	**49.258**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर	अचानकमार (शिवतराई)	बिन्दावल	बिन्दावल	7.034	बिन्दावल	**उत्तर** - अचानकमार एवं छपरवा परिक्षेत्र की सीमा.
								8.729	कोटानापानी	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 209, 190, 157, 192 एवं 155.
								6.342	दर्रापानी	**दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 155, 154 एवं 195.
										पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. अचानकमार एवं सुरही परिक्षेत्र की सीमा.
							योग	**22.105**		
17.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	अचानकमार (शिवतराई)	जल्दा	जल्दा	7.552	कन्हैयानाला	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 196 एवं 194.
								7.260	गाभीघाट	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 155, 149, 150, 118 एवं 117.
								8.466	जल्दा	**दक्षिण** - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
										पश्चिम - अचानकमार एवं सुरही परिक्षेत्र की सीमा.
							योग	**23.278**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	**बिलासपुर**	**बिलासपुर**	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर	अचानकमार (शिवतराई)	सरईपानी	सारसडोल	7.662	औरईपानी	**उत्तर** – आरक्षित वन कक्ष क्र. 193, 191, 157 एवं 156.
								7.637	बैगाबसान	**पूर्व** – आरक्षित वन कक्ष क्र. 146
								6.447	सरईपानी	**दक्षिण** – आरक्षित वन कक्ष क्र. 107, 108 लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा कक्ष क्र. 116.
										पश्चिम – आरक्षित वन कक्ष क्र. 116, 151, 154 एवं 193.
							योग	**21.746**		
19.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	अचानकमार (शिवतराई)	अचानकमार	अचानकमार	6.966	अचानकमार	**उत्तर** – अचानकमार एवं छपरवा परिक्षेत्र की सीमा.
								9.053	सायपानी	**पूर्व** – अचानकमार एवं छपरवा परिक्षेत्र, लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
										दक्षिण – आरक्षित वन कक्ष क्र. 144, 159, 158 एवं 156.
										पश्चिम – आरक्षित वन कक्ष क्र. 192 एवं 191.
							योग	**16.019**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर	अचानकमार (शिवतराई)	सारसडोल	सारसडोल	6.337	सरगढ़ी	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 157, 190, 189, 160.
								8.571	कुडेरापानी	**पूर्व** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 160, लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								6.095	सारसडोल	**दक्षिण** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 123, 106 एवं 119.
										पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्र. 147, 148, 155 एवं 192.
							योग	**21.003**		
21.	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	अचानकमार (शिवतराई)	सिहाबल	सिहाबल	7.730	सिहावल	**उत्तर** - आरक्षित वन कक्ष क्र. 120, 121 एवं 122.
								5.500	भैसाघाट	**पूर्व** - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
								7.537	कटंगी	**दक्षिण** - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा.
										पश्चिम - लोरमी परिक्षेत्र एवं अचानकमार टायगर रिजर्व की सीमा. कक्ष क्र. 117 एवं 118.
							योग	**20.767**		

आई. एन. सिंह (भा.व.से.)
वन संरक्षक.